

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,



श्रमिक ठेके हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 26.05.2020 सायं 6.00 बजे तक
2. बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक 27.05.2020 दोपहर 12.00 बजे तक
3. तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक 27.05.2020 मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे तक

41

अनुक्रमणिका

क्र. सं	विवरण	पेज.नं.
1.	बोली आमंत्रण सूचना	03-04
भाग-अ		
2.	अनुभाग.1 निविदादाता हेतु दिशा निर्देश	06-13
3.	अनुभाग.2 ठेके हेतु सामान्य नियम व शर्तें	14-19
4.	अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र	20-21
5.	Annexure-A Compliance with Code of Integrity And no conflict of interest.	22-23
6.	Annexure-B Declaration by the bidder Regarding qualification.	24
7.	Annexure-C Grievance redressal during Procurement process.	25-27
8.	Annexure-D Additional conditions of contract.	28-29
9.	Annexure-E Format for Declaration & Undertaking	30
10.	संलग्नकों की चैक लिस्ट	31
भाग-ब		
11.	श्रमिक कार्यों हेतु निर्धारित बी.एस.आर.	33-37
भाग-स		
12.	इकाईयों के नाम व पते	39

4/15

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

No. /राजसीड्स/विधायन/2020/1284

दिनांक 05.05.2020

बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले श्रमिक ठेकेदारों से श्रमिक कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदायें आमंत्रित दिनांक 26.05.2020 को सायं 6.00 बजे तक की जाती हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	अमानत राशि/बिड सिक्वोरिटी (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क (GST सहित)	ई-निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क (GST सहित)
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर					
1.	चित्तौड़गढ़	140.00	2.80	2360	1180
2.	उदयपुर	47.00	0.94	2360	590
3.	बांसवाड़ा	50.00	1.00	2360	1180
4.	भीलवाड़ा	35.00	0.70	2360	590
क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डौर					
5.	मण्डौर (जोधपुर)	22.00	0.44	2360	590
6.	नागौर	40.00	0.80	2360	590
7.	सुमेरपुर (पाली)	58.50	1.17	2360	1180
8.	मोहनगढ़ (जैसलमेर)	72.00	1.44	2360	1180
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर					
9.	श्रीगंगानगर	120.30	2.41	2360	1180
10.	श्रीकरणपुर	80.00	1.60	2360	1180
11.	सुरतगढ़	130.00	2.60	2360	1180
12.	हनुमानगढ़	140.00	2.80	2360	1180
क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर					
13.	भरतपुर	75.00	1.50	2360	1180
14.	अलवर	22.50	0.45	2360	590
15.	हिंगण	34.00	0.68	2360	590
क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा					
16.	कोटा	105.00	2.10	2360	1180
17.	झालावाड़	72.00	1.44	2360	1180
18.	बारा	100.00	2.00	2360	1180
क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुरा					
19.	दिंडोल (बस्ती)	28.00	0.56	2360	590
20.	दूनी	65.00	1.30	2360	1180
21.	तबीजी (अजमेर)	34.00	0.68	2360	590
22.	घस्सू का बास (सीकर)	50.00	1.00	2360	1180

1. यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org, एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए ई-निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर दिनांक 26.05.2020 सांय 6.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। बिड सिक्योरिटी व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD, RISL, जयपुर के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड-ड्राफ्ट सम्बन्धित इकाई पर दिनांक 27.05.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 27.05.2020 मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
3. निर्धारित बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. उक्त ई-निविदा केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
5. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि अनरिफण्डेबल होगी।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था का होगा।

(जसवंत सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

भाग—अ

अनुभाग-1

निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रक्रिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेबसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भाँति पढ़/समझ लिया जावे। किसी भी समय इन अधिनियम एवं नियमों तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।
2. स्कोप ऑफ बिड :- उपापन संस्था द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में दिये गये कार्य के लिए ई-प्राक्वेरमेंट के माध्यम से ऑन-लाईन बोली (निविदाएँ) आमंत्रित की जाती है।
3. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) :- कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानों के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को बिड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-“अ” में कोड ऑफ इन्ट्रिग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:- बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
5. पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :-
 - (A) एक बोलीदाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयों/संस्था, पात्र हो सकते हैं।
 - (B) अधिनियम की धारा 46 अधीन के किसी भी संस्था द्वारा डिवार किया हुआ कोई भी बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
 - (C) उपापन संस्था द्वारा मांगे जाने पर, बोलीदाता द्वारा निरन्तर संतोषजनक पात्रता बनाए रखने के साक्ष्य प्रदान करेगा।
 - (D) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जावे।
 - (E) जो बोली दाता GST IN में में रजिस्टर्ड नहीं है, बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के बोली रिजक्ट कर दी जायेगी।
 - (F) बोलीदाता द्वारा फर्म के संविधान में उपापन संस्था की पूर्वानुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

नोट :- यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र बिड प्रस्तुत करने की दिनांक को अवधिपार हो गया है और फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है तो नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :-** बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्तें, तकनिकी बिड, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होंगे।

7. **बोली दस्तावेजों का विक्रय :-** बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के एक दिन पूर्व तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड डॉक्यूमेंट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूमेंट पर भी तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना होगा।

i. बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ii. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशों, फार्म, शर्तों, को भलीभाँति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएं, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

8. **बोली दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-** बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि उपापन संस्था द्वारा माल या सेवाओं की खरीद हेतु जारी किये गये बोली दस्तावेजों की शर्तों, बी.एस. आर. दरों को भलीभाँति पढ़ ले/समझ ले, बोलीदाता को किसी भी शर्त, बी.एस.आर. दरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक (Dought) हो तो, बोली प्रस्तुत करने से पहले उपापन संस्था से लिखित में क्लिरीफिकेशन मांग सकेगा। ऐसा क्लिरीफिकेशन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से कम से कम 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। उपापन संस्था द्वारा ऐसा क्लिरीफिकेशन प्राप्त होने पर 07 दिवस में बोलीदाता को स्पष्टीकरण जारी करेगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण की प्रति समस्त वीडर को फोरवर्ड की जावेगी तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण का बोली दस्तावेजों में भी आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगा।

9. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. **बोली दस्तावेजों में संशोधन:-**

(i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।

41

(ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

11. बिड की लागत:- बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज:- बोली दो लिफाफे में (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।

तकनिकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(i) पूर्ण भर हुआ तकनिकी बिड फार्म।

(ii) सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।

(iii) बोलीदाता का कोड ऑफ इस्ट्रेग्रेटी का घोषणा पत्र (अण्डरटेकिंग)।

(iv) बिड सिन्धोरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड-ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

(v) बिड दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकृत पत्र।

(vi) GST, PAN, ऑफिस कार्यालय का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी।

(vii) कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र।

(viii) तकनिकी क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण-पत्र।

13. बिड प्राईज और डिस्काउण्ट:-

i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावे, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावे। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किये जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।

ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।

iii. बिड में प्रस्तुत दरे समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावे। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावे। प्रस्तुत की गई दरे अनुबन्ध अवधि 2020-21 एवं 2021-22 के लिए फिक्स (निर्धारित) होगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरे अनुसार देय होगी।

14. बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :- बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबिन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

15. स्वीकृत निविदा की अवधि :- निविदा में स्वीकृत की गई दरे वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक वैध होगी। आवश्यकता होने पर अनुबन्ध की अवधि RTTP नियमों के प्रावधान अनुसार बढ़ायी जा सकेगी। फर्म/बोलीदाता बढ़ायी गयी अवधि में श्रमिक कार्य करने हेतु बाध्य होंगे।

16. **बोलियों की वैधता अवधि :-** बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए विधिमान्य होगा। 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी। आवश्यकता होने पर उपापन संस्था द्वारा निवेदन करने पर बिड की वैधता अवधि 90 दिवस से अधिक बिडर की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

17. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-**

- (i) बोली प्रतिभूति की राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी। बिड सिक्योरिटी व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD. RISL, Jaipur के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- (ii) बोली प्रतिभूति बैंक चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट और भारत में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी या ई-ग्रास के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iii) बोली दाता द्वारा अन्य बोलियों के लिए प्रस्तुत बोली प्रतिभूति समायोजित नहीं की जायेगी। लेकिन रि-टेंडर करने के फलस्वरूप पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु बोलीदाता को पूर्व में प्रस्तुत बिड सिक्यूरिटी का सबुत निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत बोली प्रतिभूति जारी करता बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
- (v) सफल बोलीदाता के मामले में, बोली प्रतिभूति राशि, कार्य सम्पादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा कराई जाने पर बोली प्रतिभूति वापस लौटा दी जायेगी।
- (vi) बोली प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. **बोली प्रतिभूति वापस लौटाना:-** असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

19. **बोली प्रतिभूति को जब्त (Forfeited) किया जाना**

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति निम्न मामलों में जब्त कर ली जायेगी :-

- (i) जब बोली लगाने वाला बोली खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (Withdrawn) या उपान्तरित (मोडीफाई) करता है; या
- (ii) जब बोली लगाने वाला कार्यादेश/स्वीकृत पत्र जारी करने के 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र (एग्ग्रीमेन्ट) नहीं करता है; या
- (iii) जब बोली लगाने वाला निर्धारित अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (बिड परफोरमेन्स सिक्यूरिटी) जमा नहीं कराता है; या
- (iv) जब बोली लगाने वाला निर्धारित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है; या

- (v) यदि बोलीदाता द्वारा इन अधिनियम और नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने के लिए विहित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध को भंग किया जाता है; या
- (vi) यदि बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत डोक्यूमेंट किसी भी समय मिथ्या (False) डोक्यूमेंटस पाया जाता है; या
- (vii) यदि बोलीदाता एनेक्जर-“डी” के अनुसार संशोधन (Correction) को स्वीकार नहीं करता है।

20. बोली प्रस्तुत करना एवं बोली खोलना :-

- (i) बोलीदाताओं द्वारा बोली राज्य प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।
- (ii) बोलदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-प्राक्यूरमेंट द्वारा बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में बोलीदाता बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय से पूर्व ही ई-पोर्टल पर अपनी बिड अपलोड करें। अन्तिम समय में किसी कारण से बिड अपलोड नहीं कर पाने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (iii) बोलीदाता द्वारा तकनिकी बोली एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक प्रस्तुत की जावेगी।

21. बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal) :- किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपान्तरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

22. बिड खोलना (Bid Opening):-

- (i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल तकनिकी बिड खोली जावेगी। उपस्थित निविदादाताओं की एक सूची तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
- (ii) तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संस्था द्वारा तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।
- (iii) तकनिकी बिड में असफल बोलीदाताओं को जिन मापदण्डों के आधार पर असफल घोषित किया गया है, लिखित में सूचित किया जायेगा।

23. नेगोशिएसन (बातचीत):-

- (i) एकल स्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन पद्धति के सिवाय, जहाँ तक सम्भव हो, नेगोशिएसन नहीं किया जायेगा; तथापि
- (ii) नेगोशिएसन केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा :-
 - (क) जब बोली लगाने वालों ने समूह कीमते (रिंग प्राईज/पूल करके) कोट की गई हो या
 - (ख) जब कोट की गई दरे और बाजार दरों में बहुत अधिक अन्तर हो।

- (iii) बोली मूल्यांकन समिति को, कारण को अपलिखित करते हुये, नेगोशिएसन करने की पूर्ण शक्तियाँ होगी।
- (iv) नेगोशिएसन के लिए न्यूनतम बोलीदाता को लिखित में सूचित किया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जाएगा। अति आवश्यक होने पर इस अवधि को कम किया जा सकेगा, बशर्ते बोलीदाता को सूचना मिल जानी चाहिए एवं इसकी सहमति बिडर से भी ले ली गई हो।
- (v) यदि नेगोशिएसन उपरान्त भी संतोषप्रद दरे प्राप्त नहीं होती हैं तो मूल्यांकन समिति न्यूनतम निविदा दाता को लिखित में काउण्टर ऑफर दे सकेगी, यदि बोलीदाता द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं किया जाता है तो द्वितीय (L₂) तृतीया (L₃)या इस प्रकार समस्त को काउण्टर ऑफर दिया जा सकेगा।
- (vi) यदि काउण्टर ऑफर के उपरान्त भी मूल्यांकन समिति दरों को अधिक होना स्वीकार करती है तो रि-टैण्डर आमन्त्रित किया जा सकेगा।
24. किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :- निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने/निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।
25. सफल बोली और निविदा स्वीकृति :-
- (i) मूल्यांकन समिति की अभिशंषा/निविदा की शर्तों, आदि के आधार पर उपापन संस्था बोली स्वीकार/अस्वीकार करेगा।
- (ii) उपापन संस्था बोली स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।
- (iii) बोली तभी सफल मानी जावेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- (iv) उपापन संस्था, सफल बोलीदाता को लिखित में, बोली की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, सूचना देगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है।
26. अनुबन्ध पत्र (Agriment) निष्पादित करना :-
- (i) सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस में में 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुलग्न E में अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करेगा। स्टाम्प पेपर की कीमत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी।
- (ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agriment) निष्पादन करने या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो उपापन संस्था द्वारा बोलीदाता की बिड सिक्वोरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं इन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकेगी।
27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Bid Performance Security) :-
- (i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि कार्य आदेश मूल्य के 5 प्रतिशत होगी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जा सकेगी :-

- (क) ई-ग्रास के माध्यम से
 (ख) किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक
 (ग) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी। उपापन संस्था द्वारा प्राप्त बैंक गारन्टी को जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
 (घ) किसी बैंक की नियत जमा रसीद (एफ.डी.आर.) इसके लिए बैंक से अण्डरटेकिंग भी ली जायेगी।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना :-

- (क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या आंशिक (पार्टली) निम्न मामलो में जब्त कर ली जावेगी :-
- (i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
 (ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
 (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
 (iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
 (v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या
 (vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नोट :- उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

29. निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया :- बोलीदाता निविदा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शिकायत इस अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रथम अपील अधिकारी अपने प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव (बजट) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अपील कर सकेगा।

30. अपील:- RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न-में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।

31. निविदा प्रपत्र के भाग-अ के अनुभाग-3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

W

32. टेंडर में सभी वैधानिक औपचारिकताएँ GST, आयकर, प्रोविडेंट फण्ड एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो) के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
33. निविदा भाग 'अ' के अनुभाग-III के अनुरूप ही प्रस्तुत की जावे यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।
34. राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु समय-समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

✓

अनुभाग-2

श्रमिक ठेके के नियम व शर्तें

1. श्रमिक ठेका वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिये मान्य होगा ।
2. **अनुबन्ध (Agreement) निष्पादित करना :-** उपापन सस्था एवं सफल बोलीदाता के बीच एक अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जावेगा, बोली दस्तावेज में उल्लेखित शर्तें, बोली आमंत्रण सूचना, बिड प्रोफार्मा, बोली दस्तावेजों में सशोधन, यदि कोई हो, अनुबन्ध पत्र का हिस्सा/भाग होंगें।
3. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) :-**बोलीदाता द्वारा इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता की सख्ती से पालन की जावेगी।
 - (i) सप्लायर द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपापन सस्था के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, ईनाम, उपहार या किसी भी प्रकार की साग्रगी देने की पेशकश नहीं की जावेगी।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या निविदा प्रक्रिया के दौरान अनुबन्ध के सतोषप्रद ढंग से सम्पादन करने से बचने के लिए मिसरिप्रजेक्शन द्वारा गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा।
 - (iii) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया के समय प्रति स्पर्धात्मक दरें प्राप्ति को रोकने के उद्देश्य से आपसी सौंठ- गौंठ एवं पूल नहीं करेगा
 - (iv) बोलीदाता द्वारा उपापन सस्था एवं बोलीदाता के बीच साझा की गई किसी भी सूचना को अनुचित लाभ हासिल करने हेतु दुरुपयोग नहीं किया जावेगा।
 - (v) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पार्टी को नुकसान पहुँचाने या ऐसा करने की धमकी देने सम्बन्धी कार्य नहीं करेगा।
 - (vi) बोलीदाता निविदा प्रक्रिया और अनुबन्ध के सफल संचालन हेतु किसी भी जाँच एवं लेखा परीक्षा हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
 - (vii) बोलीदाता द्वारा उसे गत तीन वर्षों में राज्य सरकार/संस्था द्वारा डिवार किये जाने से सम्बन्धी सूचनाओं का खुलासा करेगा।
 - (viii) बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करने पर (दुषित, धोखाधड़ी आकामक या कपटपूर्ण व्यवहार इत्यादि के लिए) उपापन संस्था द्वारा इस अधिनियम के अध्याय IV एवं धारा 11(3) तथा 46 के तहत बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
 - (ix) उपापन सस्था द्वारा आवश्यकता होने पर निविदादाता के रिकॉर्ड एवं लेखों की जाँच करने या लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट कराई जा सकेगी। इसके लिए निविदादाता द्वारा उपापन संस्था को अनुमति दिया जाना आवश्यक होगा।
4. **नोटिस :-** एक पार्टी द्वारा दुसरो पार्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस लिखित में दिया जावेगा, नोटिस डिलीवर्ड होने की दिनांक से या नोटिस में प्रभावी होने की दिनांक अंकित होने पर, जो भी बाद में हो, प्रभावी माना जावेगा।

5. अप्रत्याशित घटना घटित होने पर (Force Majeure) :-

- (i) यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो सफल निविदादाता के नियंत्रण से बाहर है एवं कार्य करने में सफल निविदादाता की लापरवाही के कारण विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण अनुबन्ध के तहत कार्य करने में विफल रहने पर निविदादाता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी घटनाएँ में संप्रभु क्षमता, वार/क्रान्ति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबन्ध इत्यादि शामिल होंगे।।
 - (ii) सफल निविदादाता द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त इस तरह के हालतों, कारणों एवं उसके प्रभावों की लिखित में उपापन संस्था को सूचना देगा, जब तक उपापन संस्था द्वारा लिखित में कोई निर्देश नहीं दिए गए हो सफल निविदादाता तब तक अपने दायित्वों की फरफोरमेन्स जारी रखेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेगा।
6. कॉन्ट्रैक्ट को सबलैट करना:- सप्लायर द्वारा बिना उपापन संस्था की पूर्वानुमति के कॉन्ट्रैक्ट सबलैट नहीं किया जावेगा।
 7. सप्लायर की जिम्मेदारी :- अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार सम्पूर्ण श्रमिक कार्य करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।
 8. निविदादाता के पास पी.एफ.कोड, ई.एस.आई पंजीयन (यदि लागू हो), GST का पंजीयन, श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के धारा-12 (1)/12 (2) के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। Workman compensation policy कार्यादेश के 15 दिन में पंजीयन करवाकर पंजीयन की प्रति उपलब्ध कराना होगा। इसके अभाव में कोई भुगतान नहीं होगा।
 9. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/- ₹० के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा डीबार/काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
 10. निविदादाता को गत दो वर्षों का राजकीय कार्यालयों/पब्लिक सेक्टर में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्यअनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 11. श्रमिक ठेकेदार को बिलों का पिछले माह का पी.एफ. जी.एस.टी व इ.एस.आई. राशि जमा के घालान की प्रतियों उपलब्ध कराने के पश्चात् ही अगले माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
 12. श्रमिक बीएसआर के बिन्दू संख्या-12 में सरकारी दरों पर कार्य करवाने पर यदि बिल में पी.एफ. व ई.एस.आई. राशि का पृथक से उल्लेख करने पर उक्त राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। श्रमिक को भुगतान राजस्थान सरकार श्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/11254 दिनांक 07.07.2017 के अनुसार किया जावेगा। उक्त के संशोधन होने की स्थिति में नवीनतम संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
 13. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने की तिथि से 15 दिवस में Workmen Compensation Policy किसी इनश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर उसकी प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ताकि किसी दुर्घटना के कारित होने पर समस्त उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
 14. यदि किसी फर्म द्वारा निविदा में अनुमानित लागत से कम दर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत से अंतर राशि की बैंक गारंटी अतिरिक्त (परफॉरमेन्स गारंटी के रूप में) देनी होगी।
 15. बीज के कट्टों की समस्त प्रकार की हैण्डलिंग के समय हुक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बोरियों व कट्टों पर हुक का प्रयोग निषेध है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा 100 ₹. के स्टॉम्प पेपर पर

इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी उल्लेखित हो कि अवहेलना की स्थिति में जमा अमानत एवं धरोहर राशि जब्त कर डीबार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी। अगर हुक का प्रयोग करने से कट्टों/बोरियों का या बीज का नुकसान होता है तो उस राशि का नुकसान ठेकेदार को बहन करना होगा।

16. किसी भी क्षति के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार या उसके मजदूरों की गलती से निगम को कोई हानि पहुंचती है तो ठेकेदार के भुगतान में से राशि वसूल कर ली जायेगी।
17. ठेके के सभी कार्य निगम कार्यालय के प्रतिनिधि के निर्देशों के अनुसार करना होगा।
18. फसल की किस्म बदलने पर मशीन की सफाई ठेकेदार को करनी होगी।
19. टैग, लेबल एवं थैलियों पर मोहर लगाने के लिये एवं कट्टों पर मार्का लगाने के लिये ठेकेदार को पढ़े लिखे व्यक्ति रखने होंगे तथा सीजन अवधि में स्थाई व्यक्ति रखने होंगे। ठेकेदार द्वारा यह कार्य करवाने में असमर्थ होने पर निगम कार्यालय की ओर से उचित श्रमिक रखे जायेंगे जिसकी मजदूरी ठेकेदार को देनी होगी।
20. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चेक/ आर.टी.जी.एस द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
21. श्रमिक ठेकेदार द्वारा बीजों के हैंडलिंग का कार्य सम्पूर्ण निगम परिसर व निगम द्वारा लिये गये किराये के गोदाम में किया जायेगा।
22. निगम द्वारा ठेकेदार को विधायन कार्य शुरू होने से पूर्व कट्टों एवं थैलियों की सिलाई हेतु बैगक्लोजर उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा इस कार्य के लिये ठेकेदार द्वारा कुशल एवं अनुभवी श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
23. फ्यूमीगेशन कार्य हेतु फ्यूमीगेशन कवर, स्प्रे, पम्प, दवाई, निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा फ्यूमीगेशन कवर एवं अन्य उपकरण फ्यूमीगेशन के पश्चात् सही तरह से पैक करके रखने होंगे।
24. विधायन कार्य के समय संयंत्र परिसर में गोदामों की नियमित सफाई श्रमिक ठेकेदार करवायेगा एवं इस कार्य के लिए अलग से मजदूरी नहीं दी जावेगी तथापि शेष समयावधि में भी गोदामों एवं संयंत्र परिसर की नियमित साफ-सफाई की समस्त जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु प्रयुक्त वास्तविक मजदूरी बी.एस.आर. आईटम न. 12 के अनुसार देय होगी।
25. गोदामों में राई बीज स्टैक से उठाकर ले जाने के पश्चात् स्टैक स्थल पर पूर्ण सफाई कर बिखरा हुआ बीज बोरियों में भरकर ग्रेडिंग स्थल/निर्दिष्ट स्थान पर ठेकेदार द्वारा ही पहुँचाना होगा। इसके लिये ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। गोदामों में कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोदामों में बीज कम से कम बिखरे एवं गोदाम हमेशा साफ रहे।
26. तोल कांटों, बीज उपचारित मशीनों, बैग क्लोजर एवं अन्य मशीनों को साफ रखना व सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर निगम के बीज अधिकारी को संभलाकर रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा।
27. ठेकेदार द्वारा स्टैक लगाकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसी दिन गिनती करवानी होगी
28. ठेकेदार को आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पारी में विधायन एवं पैकिंग कार्य के लिये पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
29. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो) आदि की राशि संबंधित कार्यालय में जमा करवानी होगी जिसकी रसीद की प्रति संबंधित इकाई को प्रस्तुत करनी होगी।
30. श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनावश किसी श्रमिक को हुई समस्त प्रकार की शारीरिक क्षति कि स्थिति में क्षति पूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदारों का होगा। अतः यह अपेक्षित है कि ठेकेदार योग्य श्रमिकों को ही कार्य पर लगावें।

411

31. ठेकेदार द्वारा संयंत्र के सुचारु संचालन एवं रख रखाव हेतु कुशल श्रमिक/आपरेटर/फोरमैन भी उपलब्ध कराना होगा जो कि प्लान्ट संचालन का कार्य दक्षता से कर सके । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर देय होगी ।
32. क्रॉप कलैण्डर (छायाप्रति संलग्न) अनुसार संयंत्र प्रभारी द्वारा आवंटित समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रति सप्ताह या सप्ताह के अंश पर 3000 रु० शास्ति भुगतान में से काटी जावेगी। यदि यह देरी अपरिहार्य कारणों से होती है जिसमें श्रमिक ठेकेदार का कोई दोष नहीं है ऐसी दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक कारणों के विवेचन के उपरान्त शास्ति माफ कर सकते हैं।
33. बीज विधायन के समस्त कार्यों के समय ठेकेदार अथवा उनका सुपरवाइजर पूर्णकालिक रूप से विधायन संयंत्र पर उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित करवाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
34. यदि इकाई की आवश्यकतानुसार रॉ बीज लेने व क्रय करने हेतु केंद्र खोले जाते हैं, तो इन केंद्रों के लिए संबंधित ठेकेदार को संबंधित इकाई को अनुमोदित दर पर ही श्रमिक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
35. यदि रॉ बीज केंम्प लगाकर बाहर उत्पादन क्षेत्र से विधायन केंद्र तक ले जाना है तो श्रमिक ठेकेदार को आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
36. विधायन कार्य हेतु परिसर के बाहर से रॉ बीज विधायन संयंत्र पर लाना एवं विधायित बीज को पुनः परिसर से बाहर ले जाने की दर यदि दूरी के अनुसार निर्धारित बीएसआर से कम होती है तो सरकारी/सरकारी उपक्रम द्वारा स्वीकृत दरों पर स्थानीय परिवहन के अनुसार भुगतान किया जायेगा व इकाई से 8 कि.मी तक भण्डारित बीज की दर जो बीएसआर में विधायन हेतु अंकित है, उसी अनुरूप दी जावेगी।
37. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
38. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति को वापस लौटाना :-** सप्लायर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति संतोषप्रद सप्लाय पूर्ण होने/ अनुबन्ध समाप्त होने पर बिना ब्याज वापस लौटा दी जावेगी।
39. **रिस्क एण्ड कॉस्ट परचेज :-**
 - (i) सप्लायर अनुबन्ध के अनुसार श्रमिक कार्य करने में विफल रहता है तो, उपापन संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर, सप्लायर की रिस्क एवं कॉस्ट पर श्रमिक कार्य कराया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य करने से उपापन संस्था को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है तो उसकी सम्पूर्ण वसूली सप्लायर से की जायेगी।
 - (ii) उपापन संस्था के पास सप्लायर की कोई राशि जमा नहीं होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली RTPP अधिनियम की धारा 53 या अन्य कानूनों के तहत की जा सकेगी।
40. **बोली प्रस्तुत करने के बाद या अनुबन्ध अवधि में सप्लायर को अन्य किसी संस्था द्वारा डिवार किया जाना :-**
 - (i) यदि किसी बोलीदाता को बिड प्रस्तुत करने के पश्चात् या निविदा स्वीकृति पश्चात् किसी संस्था द्वारा डिवार/ब्लैक लिस्ट/बैन किया जाता है तो बोलीदाता द्वारा डिवार

किये जाने के 15 दिवस में उपापन संस्था को सूचित करेगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यादेश मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से पैसेल्टी लगाई जा सकेगी।

(ii) उपापन संस्था की जानकारी में आता है कि सफल बोलीदाता को किसी संस्था द्वारा डिवार/ब्लैक लिस्ट/बैन कर दिया गया है तो आगे कोई कार्य नहीं कराया जायेगा एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

41. अनुबन्ध को निरस्त किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा निम्न मामलों में सम्पूर्ण अनुबन्ध या उसके किसी भाग को निरस्त (टरमिनेशन) किया जा सकेगा:-

- (i) बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों/इन अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने पर; या
- (ii) सप्लायर द्वारा सम्पूर्ण श्रमिक कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल रहने पर; या
- (iii) सप्लायर द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन करने पर; या
- (iv) उपापन संस्था किसी भी समय यह पाती है कि सप्लायर दिवालिया हो गया हो; या
- (v) अनुबन्ध निरस्त करने वाले नोटिस में अनुबन्ध जिस दिनांक से समाप्त किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जायेगा।

नोट:- उपापन संस्था द्वारा किसी भी अनुबन्ध को निरस्त करने से पूर्व सप्लायर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय पर नोटिस दिया जायेगा।

42. बोलीदाता/सप्लायर को डिवार किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा किसी भी बोलीदाता/सप्लायर को निम्नलिखित मामलों में धारा 46 के तहत अधिकतम 3 वर्ष के लिए डिवार किया जा सकेगा :-

- (i) जब बोलीदाता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
- (ii) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
- (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
- (iv) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
- (v) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (vi) जब बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया गया हो; या
- (vii) निविदादाता द्वारा झुठे, जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं; या
- (viii) निविदा स्वीकृत कराने/कार्यादेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्यों को छिपाता है; या

(ix) सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करने के बाद अनुबन्ध के नियम और शर्तों की प्रतिवद्धताओं को पूर्ण करने में असफल होने पर।

नोट:-उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले/सप्लायर को धारा 46 क अधीन डिवार करने से पूर्व उसे सुनने का युक्तियुक्त (पर्याप्त) अवसर दिया जायेगा।

43. न्यायिक क्षेत्र सम्बन्धित इकाई का जिला होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

अनुभाग-3

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

राजधान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.

विषय:- श्रमिक ठेके हेतु निविदा वर्ष 2020-21-2021-22

महोदय,

1. निविदा दाता का नाम
2. पूर्ण पता
3. टेलीफोन नम्बर निवास..... मोबाइल न0.....
4. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
बैंक का नाम.....
5. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
बैंक का नाम.....
6. बिड सिक्योरिटी का विवरण ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
बैंक का नाम.....
7. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर
8. भविष्य निधि विभाग कोड क्रमांक
9. पेन नम्बर

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तों एवं निर्धारित बी.एस.आर. का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

414

अनुभाग-3 (1)

तकनीकि निविदा हेतु प्रपत्र

सेवा में,

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

1. बिड सिक्योरिटी निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (ड्राफ्ट संलग्न).....
2. श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के धारा-12 (1)/ 12 (2) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें
3. भविष्य निधि विभाग में पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, पैन, ई.एस.आई. पंजीयन (यदि लागू हो) प्रमाण-पत्र संलग्न करें
4. 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा/डीबार/ काली सूचिबद्ध नहीं है।
5. विगत दो वर्ष का राजकीय कार्यालयों/पब्लिक सैक्टर अथवा अन्य फर्मों/संस्थाओं में किये गये बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग अनलोडिंग कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

411

- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

LV

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No.....

Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or to have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt./public undertaking etc.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:



Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is A.C.S. /P.S.A. Department of Agriculture Government of Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is: Secetary finance (Budget) department , Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

44

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....

Supported by an Affidavit)

7.

Prayer:

.....
.....

Place

Date.....

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

I. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation

Address:

41

Declaration and Undertaking

(on non-judicial stamp paper of Rs.100/-)

I (Name and complete address) _____ Sole Proprietor
/ authorised signatory of the firm (Name and complete address) _____ do hereby
solemnly affirm and declare that the individual/ firm/ company is not
blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or
its departments on the date of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I S/o(Designation)
..... Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true
& correct to the best of my knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any
information furnished by me as above is found wrong, forged or fabricated the Corporation
will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible and the firm may be
Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

Handwritten signature

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन
तकनीकी निविदा हेतु संलग्नकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे एवं भीतिक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित इकाई कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।	{ }
2	श्रम अधिनियम 1970 धारा-12 (1)/12 (2) के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
3	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
4	भविष्य निधि विभाग कोड क्रमांक	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
5	पैन नंबर	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
6	ई.एस.आई. पंजीयन (यदि लागू हो)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
7	100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
8	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
9	दो वर्ष का कार्यालयों/पब्लिक सेक्टर कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र प्रति संलग्न करें)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }

नोट:- उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

भाग-ब

श्रमिक बी.एस.आर. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर (2018)

क्र.सं.	कार्य का नाम	युनिट	बी.एस.आर. दर
1.	री बीज का हैंडलिंग :-		
	बीज उत्पादकों से प्राप्त री बीज को निगम परिसर में ट्रक/ट्राली से अनलोड करना, निर्दिष्ट स्थान पर कंट दिखाना, बोरियों को कंट पर स्टेक में जमाना, बोरिया पर लोट न लिखना इत्यादि कार्य		
	अ) तौलकर एवं छलना लगाकर (तलपट)	क्विंटल	13.50
	ब) केवल तौलकर एवं बिना छलना लगाकर	क्विंटल	7.43
	स) केवल बिना तौलकर एवं बिना छलना लगाकर	क्विंटल	6.75
	द) धर्मकाटे से तौलकर (जिस इकाई पर धर्मकाटे से तौल की सुविधा नहीं हो)	क्विंटल	8.00
2	विधायन एवं पैकिंग कार्य :-		
	अ) री बीज की बोरियों को निगम परिसर में स्थित किसी भी गोदाम से लॉट नम्बर वाइज उठाना, विधायन मशीन पर लाना, मशीन से बीज को विधायन करना, विधायित बीज को 20, 30, 40 व 60 किग्रा. कट्टो/बोरियों में पैक करना, आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुडिया तैयार कर कट्टो/बोरियों में डालना, टैग/लेबल तैयार करना व बोरियों/कट्टो पर सिलाई करना, सील लगाना तैयार बीज की बोरियों/कट्टो को प्लान्ट परिधि में स्थित किसी भी गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर कंट बिछाकर स्टेक लगाना, खाली बोरियों/कट्टों के 50-50 के बण्डल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन के लिये बीज को विधायित बीज तथा अण्डर साईज को पुनः गोदाम में ले जाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन अलग से देय नहीं होगा। री बीज का स्टेक उठाने के बाद कंटस को निर्दिष्ट स्थान पर रखना व बिखरे बीज को बोरियों में भरकर उस स्थान एवं मशीन की सफाई करना सम्मिलित है।	क्विंटल	24.30
	ब) परिसर के बाहर से री बीज विधायन संयंत्र पर लाना मय लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन तथा शेष कार्य बिन्दु 'अ' के अनुसार।	क्विंटल	32.40
	स) बिन्दु 'ब' के अतिरिक्त विधायित बीज को परिसर से बाहर गोदाम में ले जाना मय परिवहन एवं लोडिंग/अनलोडिंग।	क्विंटल	40.50
	द) बीज पुनः विधायन एवं पैकिंग कार्य बीजों के कट्टों/बोरियों को पुनः विधायन हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से हटाकर विधायन मशीन पर लाना, मुंह खोलना, टैग हटाना, दवाई की पुडिया निकालना तथा शेष कार्य 2 'अ' के अनुसार।	क्विंटल	24.30
	इ) निगम परिसर में स्थित गोदाम से सोयबीन री बीज की बोरियों को लॉट वाइज उठाना, बोरी का मुंह खोलकर सीधे ही मजदूरों की सहायता से विधायन मशीन/फीडर में डालना तथा शेष कार्य 2 'अ' के अनुसार। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर कट्टों में दवाई की पुडिया बनाकर कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है।	क्विंटल	24.30
	रे) बिन्दु सं० 2 'अ' 'ब' एवं 'स' में यदि बीज 60 किग्रा (अथवा निर्दिष्ट अन्य मात्रा) की बल्क पैकिंग में रखा जाता है तो निम्नानुसार दरे होगी (* यदि बल्क पैकिंग में पुराने बारदाने का उपयोग किये जाने पर पुराने बारदाने को फलट कर बीज पैक कराने की स्थिति में प्रचलित दरों में एक रुपया प्रति क्वि अधिक दिया जावेगा।)		
	(1) 2 'अ'	प्रति क्विंटल	17.55
	(2) 2 'ब'	प्रति क्विंटल	25.65
	(3) 2 'स'	प्रति क्विंटल	33.75

3.	बीज पैकिंग कार्य :-		
	बीज पैकिंग के लिये निगम परिसर में स्थित गोदाम से कट्टों को लॉटबाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना, विपल विघ्नकर ड्रेरी करना, थैलियों/कट्टों पर बीज प्रमाणीकरण की सूचना की मार्किंग करना, बीज भरना, तौलना, पंपलेट, झालना टैग/ लेबल तैयार करना व थैलियों/कट्टों पर लगाकर सिलाई करना, सील लगाना, लैड सीड को घागे में पिरोकर गोंठ लगाकर प्लायर से दबाना, थैलियों को पुनः थोरियों/कट्टों में भरना, गोदाम में लॉट बाईज फ्रेट बिछाकर स्टैक लगाना, खाली कट्टों/थोरियों के 50-50 के बडल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि थोरियों/कट्टों को गोदाम में स्टैक करने के लिए अलग से लोडिंग/ अनलोडिंग/ परिवहन देय नहीं होगा। पैकिंग से पूर्व स्टैक हटने पर एच पैकिंग के बाद सफाई कर बिखरे बीज को भरकर तौलकर निर्दिष्ट स्थान पर रखना एवं क्रेट्स को निर्दिष्ट स्थान पर रखना सम्मिलित है।		
	अ) बिना बीज उपचार के परन्तु दवाई की पुदिया बनाकर थैलियों/कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है।		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	54.00
	2. 1 किग्रा से अधिक 3 किग्रा तक	क्विंटल	47.25
	3. 3 किग्रा से अधिक 6 किग्रा तक	क्विंटल	40.50
	4. 6 किग्रा से अधिक 20 किग्रा तक	क्विंटल	27.00
	5. 20 किग्रा से अधिक	क्विंटल	13.50
	ब) दवाई का धोल बनाकर बीज को उपचारित करके		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	60.75
	2. 1 किग्रा से अधिक 3 किग्रा तक	क्विंटल	54.00
	3. 3 किग्रा से अधिक 6 किग्रा तक	क्विंटल	47.25
	4. 6 किग्रा से अधिक 20 किग्रा तक	क्विंटल	33.75
	5. 20 किग्रा से अधिक	क्विंटल	20.25
	स) ग्रेडेड बीज कट्टों/थोरियों को स्टैक से लॉटबाईज उतारकर उन पर टैग लेबल तैयार कर सिलाई करना, लैड सील लगाना एवं वापस निर्दिष्ट स्थान पर निगम परिसर में स्थित गोदाम में स्टैक लगाना। गोदाम में स्टैक करने के लिए अलग से लोडिंग/ अनलोडिंग परिवहन देय नहीं होगा।	क्विंटल	8.10
4.	मिनिक्टेस/प्रदर्शन के लिये किट्स तैयार करने हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से बीज की थोरियों/कट्टों को लॉटबाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना, थैलियों/कट्टों/थोरियों से टैग/लेबल हटाना, सिलाई खोलना, सील हटाना एवं शेष कार्य बिंदु सं. 3 के अनुसार।		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	54.00
	2. 1 किग्रा से 3 किग्रा तक	क्विंटल	47.25
	3. 3 किग्रा से 6 किग्रा तक	क्विंटल	40.50
	4. 6 किग्रा से 20 किग्रा तक	क्विंटल	27.00
	5. 20 किग्रा से अधिक	क्विंटल	13.50

5.	निगम परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में रॉ बीज की बोरिया/पैकड धूलियों की बोरियों/कट्टों को लॉटवाईज उठाकर क्रेट बिछाकर स्टैक लगाना। इस आईटम में जगह के अभाव में या अन्य कारणवश बोरियों/कट्टों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या उसी गोदाम में शिफ्ट करने का कार्य शामिल है। विधायन के लिये अथवा विधायन के पश्चात बोरियों के स्थानान्तरण का कार्य उसमें शामिल नहीं है। स्टैक हटाने के बाद एच. लगाने से पूर्व उस स्थान की सफाई कार्य सम्मिलित है। मय लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन व्यय।		
अ	एक गोदाम के अंदर	क्विंटल	3.00
ब	परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में	क्विंटल	7.00
स	परिसर में स्थित एक गोदाम से परिसर के बाहर स्थित गोदाम में अथवा इसके उलट परिस्थिति में।	क्विंटल	15.00
6.	बुडन/स्टील कंटेस का एक गोदाम से दूसरे गोदाम में शिफ्टिंग का कार्य	प्रति नग	2.70
7.	निगम परिसर में स्थित गोदाम में बाहर से प्राप्त विधायन सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग करना या प्लान्ट से बाहर भेजने हेतु विधायन सामग्री की लोडिंग /अनलोडिंग करना एवं निर्दिष्ट स्थान पर जमाके रखना		
1.	25 क्विन्टा तक	प्रति नग	2.70
2.	26 से 50 किलो तक	प्रति नग	4.73
3.	51 से 100 किलो तक	प्रति नग	6.75
4.	100 क्विन्टा से अधिक	प्रति नग	13.50
8.	विधायित बीज के कट्टों/बोरियों को गोदाम में स्टैक से लॉट वाईज छांटकर, उठाकर डेरी करना, खरपतवार बीज व अन्य किराओं के बीजों की बिनाई करना एवं निर्देशानुसार पुनः बोरियों/कट्टों में भरकर तुलाई करना एवं निर्दिष्ट स्थान पर स्टैक लगाना।	क्विंटल	54.00

9.	पुनः प्रमाणीकरण का विवरण -		
1.	पुनः प्रमाणीकरण हेतु स्टैक तोड़कर, लॉटवाईज छांटना गिनती करवाना, लॉटवाईज सैम्पल लेना सैम्पल लेने के बाद लॉटवाईज पुनः स्टैक करना।	क्विंटल	5.40
2.	(अ) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फील मात्रा को छांटना, पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना, मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कट्टों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टैक लगाना। (10 क्विन्टा तक पैकिंग हेतु)	क्विंटल	9.45
	(ब) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फील मात्रा को छांटना, पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना, मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कट्टों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टैक लगाना। फील लॉट छांटकर एवं टैग उतारकर संबंधित संयंत्र प्रबंधक को सभलाना होगा। (10 क्विन्टा से अधिक पैकिंग हेतु)	क्विंटल	5.40
*10.	बीजों के स्टैक पर फायुमिगेशन कॅवर चढ़ाना, दवाई डालना, कॅवर को चारों तरफ से मिट्टी से दबाना एवं इसके बाद कॅवर को उतारना, सही समेटना, सही खोलना तथा गोदाम से मिट्टी की सफाई करना। आवश्यकतानुसार रेल की धूलिया तैयार करना का कार्य शामिल है। इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा धूलिया एवं रेल निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी	प्रति क्वर	250.00
11.	दवाई का धोल बनाना एवं गोदाम में स्प्रे करना। (न्यूनतम 200 रु. प्रति गोदाम देय होगा।)	प्रति वर्ग मी	0.34
12.	विधायन केंद्र पर अन्य कार्यों हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल दैनिक श्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर उपलब्ध करवाना।	सरकारी दर अनुसार	

*13.	पैकड बीजों के कट्टों/बोरियों को निगम परिसर में स्थित गोदामों से विपणन या भण्डारण हेतु किराये के गोदाम में स्थानान्तरण करना जो प्लान्ट परिधि से बाहर है। ट्रक द्वारा बाहर के गोदाम से प्लान्ट पर कट्टों/बोरियों के स्थानान्तरण के लिये भी यही दर प्रभावी होगी। (मय परिवहन लोडिंग/अनलोडिंग)	क्विंटल	15.00
14.	पैकड बीजों के कट्टों / बोरियों को ट्रक/ट्राली में लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य अथवा निगम गोदाम या अन्य किराये के गोदामों में रखे अण्डरसाईज बीज को उत्पादकों की ट्राली/ट्रक में लोडिंग करना साथ में सम्बन्धित बीज उत्पादकों की खाली बोरियों के बण्डल भी लोड करना।	क्विंटल	6.08
15.	निगम परिसर पर स्थित गोदाम से बीज/अन्य सामान को रेलवे स्टेशन/कृषि विभाग /ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से बीज/विधायन सामग्री को प्लान्ट पर स्थित गोदाम तक परिवहन करना लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित।	क्विंटल	15.00
16.	आवश्यकता पड़ने पर बीज की पैकिंग पर विक्रय मूल्य या अन्य परियोजना की मोहर लगाना।	प्रति बैग/ टोली	0.34
17.	अमानक बीजों की नीलामी के संबंध में		
	अ) पैकड बीज के कट्टों से टैग व लेबल उतारकर सयंत्र प्रकषक को संभलवाना एवं कट्टों पर क्रॉस का निशान लगाकर बण्डल बनाकर रखना।	क्विंट	5.40
	ब) पैकड बीज के कट्टों को खोलकर, नीलामीयुक्त बीज को निविदादाता के बैगों में भरकर, बाहन में रखवाना।	क्विंट	11.00
18.	मूंगफली बीज का विधायन एवं पैकिंग कार्य-		
	1. रौं बीज की बोरियों को प्लान्ट परिधि में स्थित गोदाम से लॉटवाइज उतारना, मशीन/हाथ से बीज की गंडिंग करना, 10 से 30 किरा की पैकिंग में भरना, बैग्स पर मार्किंग करना, टैग/लेबल तैयार करना व बैग की सिलाई करना, रील लगाना तथा पुनः कट्टों/बोरियों को गोदाम में लॉटवाइज स्टैक लगाना। अण्डर साईज बीज को बोरियों में भरना, मार्किंग करना तथा लॉटवाइज निर्धारित स्थान पर स्टैक लगाना। वहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन हेतु रौं बीज को प्लान्ट पर लाना एवं विधायित बीज एवं अण्डरसाईज को पुनः गोदाम में स्टैक लगाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन देय नहीं होगा।		
	अ) मशीन से गंडिंग व हेण्ड पिकिंग	क्विंटल	67.50
	ब) हाथ से गंडिंग	क्विंटल	108.00
	2- मूंगफली प्रमाणित एवं आधार सीडस का परिणाम आने के पश्चात निश्चित पैकिंग 10-20-30 किलो को करना, दवाई की पुडियां व लीफ लेटर्स डालना, टैग व लेबल तैयार करना, सिलाई करवाना, लैड रील लगाना, मार्का लगाना, तथा स्टैग लगाना व गिनती करना।	क्विंटल	27.00
	कपास बीज का विधायन एवं पैकिंग कार्य-		
19.	कपास बीज को निगम के फार्मस के स्टोर में से निकालकर पल्लियों में बांध कर एक-एक कर के कट्टे पर तोलना, ट्रक/ट्राली में लोड करना तथा निर्धारित स्थान पर ले जाकर अनलोड करना (आवश्यकता पड़ने पर कांटे पर तोलना) दंडा बनाना तथा दंडा ठीक करके तिरपालों से ढकना।	क्विंटल	27.00
20.	बीज उत्पादकों से प्राप्त रौं कपास बीज को ट्रक/ट्राली से उतारना, पल्लियों में बांधकर तोलना, तुले हुए कपास को दंडे में डालना, तगड़ी लगाना तथा उतारना, बिथारे हुए कपास को दंडे में डालना तथा दंडे में डालना तथा दंडे को सही ढंग से लगा कर तिरपाल से ढकना।	क्विंटल	24.30
21.	जिन्ड बीज को डिस्लेण्टिंग मशीन पर डालना, डिस्लेण्टिंग बीज को बोरियों में भरना, तोलना, सिलाई करना, मार्का लगाना इत्यादि कार्य।	क्विंटल	20.25
22.	नरमा कपास के डिस्लेण्टेड बीज तथा देसी कपास के जिन्ड बीज को बोरियों को जिनिंग डिस्लेण्टिंग फीवटरी परिसर में लोटवाइज उतारकर ट्रक/ट्राली में लोड करना व इकाई पर स्थित गोदाम या अन्य निर्दिष्ट स्थान पर परिवहन करना एवं अनलोडिंग करना तथा लोटवाइज कंट विधाकर स्टैक लगाना।	क्विंटल	24.30

414

23.	अन्य कार्य हेतु जिनिंग फॅक्टरी एव प्लांट पर दैनिक श्रमिक उपलब्ध करना।		सरकारी दर अनुसार
24.	डिलिडिड बिनीला (नरमा/कपास) बीज को प्लांट परिधि में स्थित गोदाम से उठाकर एलीवेटर में डालना, ग्रेडेड बीज को बोरियों में या 10,20,40 किग्रा की पैकिंग साइज में पैक करना, तोलना, मार्क लगाना, आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुडिया बनाकर कट्टों में डालना, टैग व लेबल तैयार करके लगाना, सिलाई करना, सील लगाना एव तैयार बीज को मुख्य गोदाम में ले जाकर लोटवाइज स्टैक करना, खाली बोरियों को 50-50के बंडल बनाना व निर्धारित स्थान पर रखना (सॉ सीड पर)।	क्विंटल	20.25
25.	पुनः प्रमाणीकरण हेतु स्टैक तोड़कर बीज के कट्टों को गोदाम से बाहर निकलना, टैग व लेबल तैयार करना तथा आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुडिया बनाकर डालना, सिलाई करके सील लगाना व वापस गोदाम में स्टैक करना (पैकिंग साइज 10,20,40 किग्रा)	क्विंटल	6.75
26.	पुनः विधायन हेतु बीज के कट्टों/बोरियों को प्लांट परिधि के गोदाम से उठाकर प्लांट पर लाना, मुँह खोलकर टैग/लेबल/दवाई की पुडिया को निकालना एव शेष कार्य आइटम नं. 9(2) के अनुसार।	क्विंटल	8.10
27.	शेसी कपास के सॉ कपास में से पीली फुटी की चुगाई करना, प्राप्त पीली फुटी को तोलना तथा निर्धारित स्थान पर डालना	क्विंटल	135.00
28.	जिनिंग फॅक्टरी पर जगह के अभाव में दड़े से बाहर डाले गये कपास की जिनिंग करवाने हेतु पुनः दड़े में डालना व तगड़ी से ठीक करना तिरपालों से डकना इत्यादि कार्य।	क्विंटल	13.50
29.	रुई की गौठों को जिनिंग फॅक्टरी से लोट वाइज उठाकर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना, प्लांट गोदाम या वेयर हाउस तक परिवहन करना तथा लोट वाइज स्टैक लगाना इत्यादि	क्विंटल	24.30
30.	(अ) रुई की गौठों को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा तलापट्टी से तोलकर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना।	क्विंटल	6.75
	(ब) रुई की गौठों को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा बिना तोले ट्रक/ट्रॉली में लोड करना।	क्विंटल	4.05
	(स) रुई की गौठों को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा कांटे पर चढ़ाना तभी तोलना।	क्विंटल	6.75
	(द) कांटे पर तुली हुई गौठों को उतार कर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना। (इसका भुगतान पार्टी द्वारा किया जावेगा।	क्विंटल	4.05
आलू/प्याज इत्यादि के विधायन एव पैकिंग हेतु			
31.	आलू /प्याज इत्यादि की हेण्ड पैकिंग के माध्यम से ग्रेडिंग करना, 50-100 किलो की बोरियों में भरना, अप्पडरसाइज को बोरियों में भरना, तोलना, स्टैक करना।	क्विंटल	67.50
32.	आलू/प्याज के विधायित बीज को विधायन केन्द्र से लोट वाइज उठाकर कोल्डस्टोर ले जाकर लोटवाइज अन्दर रखवाना या कोल्ड स्टोर से वापस विधायन केन्द्र पर लेकर तोलना तथा स्टोर में लोट वाइज स्टैक करना।	क्विंटल	10.80

नोट: ये समस्त कार्य जिनके लिये पृथक से बी.एस.आर. में दर निर्धारित नहीं है उन कार्यों को श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से बिंदु सं. 12 के अनुसार श्रमिक लेकर पूर्ण किया जावे।

LM

भाग-स

इकाईयों के नाम व पते:-

इकाई का नाम	पता	एस.टी.डी.कोड एवं फोन नं.	मोबाईल नं.
मुख्यालय	राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर	0141-2227513 0141-2227514	9784100015 (M.D) 9414668166 (G.M)
1 दुर्गापुरा	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दुर्गापुरा, जयपुर	0141-2550814	9414388207
2 तबीजी (अजमेर)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तबीजी (अजमेर)	0145-2440830	98288228538
3 दूनी	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दूनी, टोंक	01434-235263	9667459339
4 श्रीगमानगर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करनी रोड, श्रीगमानगर	0154-2440070	9829531933 (RM) 9829059229 (PM)
5 हनुमानगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. रावतरार रोड, हनुमानगढ़ टाऊन	01552-230407	9829531933
6 सूरतगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. औद्योगिक क्षेत्र, सूरतगढ़	01509-220208	9799386001
7 मोहनगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. बेयर हाऊस, मोहनगढ़, जैसलमेर	02997-200571	9929393747
8 कोटा	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कारखाना बाग, पुलिस लाईन, कोटा	0744-2326736	9414538258 (RM) 9829961223 (PM)
9 बारा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. बारा	07453-230632	9413385329 9660648328
10 झालावाड	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. उद्यान विभाग नर्सरी, झालावाड	07432-211205	9413385332 9887022360
11 मण्डोर (जोधपुर)	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पास, मण्डोर, जोधपुर	0291-2570692	9414474576 (RM) 9829373111 (PM)
12 सुमेरपुर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. सुमेरपुर	02933-258326	9460105806
13 भरतपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. जी-44/45, बूज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर	05644-223792	9413385320 (RM) 9649555527 (PM)
14 अलवर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. नया बास, अलवर	0144-2701913	7619788906
15 हिंडीन	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. ग्राम पोस्ट-बयारदा खुर्द, हिंडीन, करीली	07469-230333	9829300273
16 चित्तौड़गढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. निवाहेडा रोड, चित्तौड़गढ़	01472-241012	9414470745
17 भीलवाड़ा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि अनुसंधान केंद्र के पास, भीलवाड़ा	01482-264684	9649353102
18 उदयपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. न्यु मंडी यार्ड गोदाम, उदयपुर	0294-2564687	9413385321 (RM) 9414922500 (PM)
19 बांसवाड़ा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि उपज मंडी, टीकरिया, बांसवाड़ा	02982-257045	9413385325 9001007215
20 श्रीकरणपुर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करणपुर	01501-227608	9414947904
21 नागीर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. इंडस्ट्रियल एरिया, बालवा रोड नागीर	01582-290077	7568741865
22 घस्सू का बास (सीकर)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. घस्सू का बास, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला (सीकर)	01572-232001	9587490945
23 डिंडोल (बरसी)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तह. बरसी, जिला-जयपुर (राज.)		7232029990

44